(305) (181)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

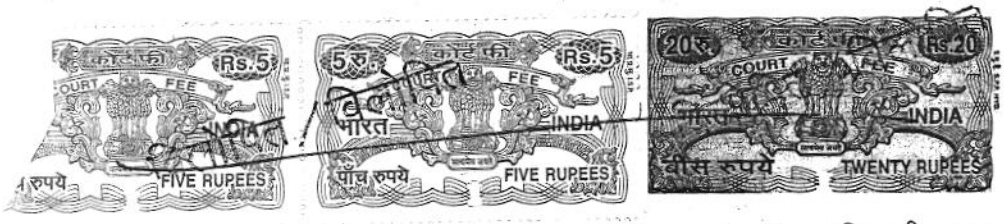

Rs 300

गंगा प्रसाद साकेत तनय स्व. घासिलराम साकेत, निवासी ग्राम–भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) ——निगरानीकर्ता

R 5067-II/17

बनाम

गनपति चमार तनय समन चमार, निवासी ग्राम–भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) (मृतक) ——प्रत्यर्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइयाँ, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्र. 18/अ–12/2016–17 आदेश दिनांक 10.01.2017. निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि आराजी नं. 662/1 रकवा 0.020 हे. के भूमिस्वामी आवेदक/प्रत्यर्थी हैं तथा आराजी नं. 662/2 रकवा 0.020 हे. का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी निगरानीकर्ता के पिता घासिलराम शासकीय अभिलेख में अंकित चले आ रहे हैं, किन्तु निगरानीकर्ता के पिता का स्वर्गवास आज से 1 साल पूर्व हो चुका है, जिसमें उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं तथा उक्त आराजी में निगरानीकर्ता का पुश्तैनी आवासीय मकान बना हुआ है तथा कुछ रकवा निस्तार के रूप में खाली पड़ा हुआ है।

गंगा प्रसाद साकेत

प्रत्यर्थी के वारिसान :-

नोट:- माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक [illegible]07/17 के अनुसार प्रत्यर्थी के वारिसानों को शामिल किया गया

[illegible]
25/7/17

1-(अ) रघुवर साकेत तनय स्व० रामपति साकेत उम्र 48 वर्ष पेशा मजदूरी

1-(ब) प्रेमलाल साकेत तनय स्व० रामपति साकेत उम्र 45 वर्ष पेशा मजदूरी

दोनों निवासी ग्राम मोहनिया, थाना [illegible] जिला रीवा (म०प्र०)

— प्रत्यर्थीगण

(181)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5067-II/17 जिला रीवा

गंगा प्रसाद साकेत विरूद्ध गनपति चमार

1	2	3
16-1-19 –	1. आवेदक की ओर से श्री छत्रपाल सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बनकुइयाँ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10-01-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

हुआ है तथा पुष्ट ...

Gd

गंगा प्रसाद साकेत